

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची-834002.

पटना-15, दिनांक- 02/06/2016

विषय :- श्रीमति शिल्पा द्वारा खाता संख्या-560, 635 प्लॉट संख्या-1106, 1105 मढ़ौरा अंचल अंतर्गत मौजा इसरौली जिला-सारण में IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्रीमति शिल्पा, पति-श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०-इसरौली, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण (बिहार) द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पत्र सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। पहुँच पथ के निर्माण के क्रम में 0.0244 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाली वृक्षों की संख्या-शून्य है तथा वानस्पतिक घनत्व 0 अंकित किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.0244 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 15,275/- (रुपये पन्द्रह हजार दो सौ पच्चहतर) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षों के लौह गैबियन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रख-रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया

जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (बिल्डिंग बना कर भी) नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव की एक प्रति (मूल रूप में) संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अरविन्दर सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-11/2016... 335 (ई०) / प०व०, पटना-15, दिनांक... 02/06/16

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/ श्रीमति शिल्पा, पति-श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०-इसरौली, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

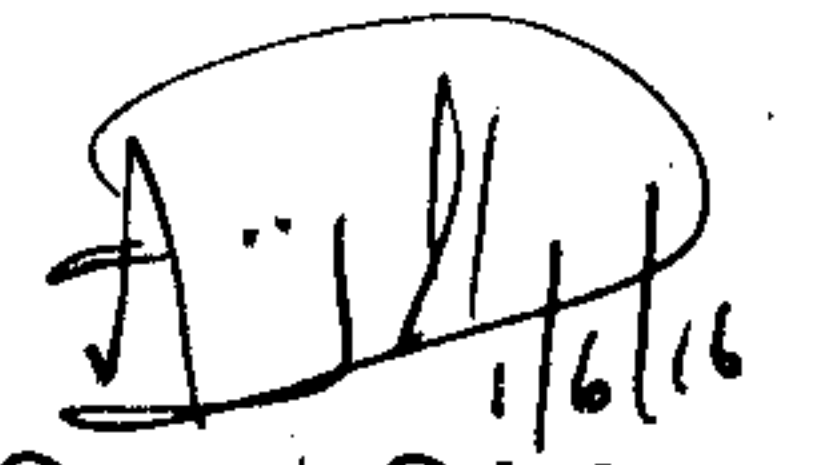
ह०/—

(अरविन्दर सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-11/2016... 335 (ई०) / प०व०, पटना-15, दिनांक... 02/06/16

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करने एवं पार्ट-2 उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

PART-V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

18. Recommendation of the State Government.

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C and Part-D above should be specifically commented upon).

Recommended with conditions

**Signature
Name & Designation
(Official Seal)**

A. S. / 30/5/16

Date.....

Place.....